न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्री जगत राजेश्वर, आर.ए.एस.

वाद संख्या : 18/2017
निर्णय दिनांक : 05.09.2018

उनवान

1. मंगलराम पुत्र भंवरिया
2. रामप्रसाद पुत्र श्री भंवरिया
3. कमला बेवा भंवरिया

समस्त जातियान बागडा ब्राहम्ण निवासीयान ग्राम लाखना सांगानेर जिला जयपुर।

...प्रार्थीगण

बनाम

1. प्रभूनारायण पुत्र श्रीया
2. गोपाल पुत्र प्रभूनारायण
3. समस्त जातियान बागडा ब्राहम्ण निवासीयान ग्राम लाखना सांगानेर जिला जयपुर।

...अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 272 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 273 रकबा 0.31 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 280 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 392 रकबा 0.26 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 393 रकबा 0.40 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 394 रकबा 0.40 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 396 रकबा 0.40 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 397 रकबा 0.25 हैक्टेयर कुल किता 8 कुल रकबा 2.35 हैक्टेयर वाके ग्राम लाखना, पटवार क्षेत्र लाखना, भू–अभिलेख निरीक्षक वाटिका तहसील सांगानेर में स्थित हैं जिसमें प्रार्थीगण का हिस्सा 5/12 हैं जिसको प्रार्थीगण अपने उपयोग उपभोग में लेते आ रहे है। जो इस वाद पत्र में विवादित है जिसे वादग्रस्त भूमि से सम्बोधित किया गया है। प्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमि को अन्य सहखातेदारों के साथ पूर्व मटवट के आधार पर अपने अपने हिस्से में आई जमीन पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के मध्य अपनी दूसरी कृषि भूमि को लेकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के यहा एक वाद संख्या 204/12 मंगलराम वगै0 बनाम प्रभूनारायण विभाजन बाबत चल रहा है। उक्त विवाद से अप्रार्थीगण प्रार्थीगण से नाराज होकर उक्त वादग्रस्त भूमि पर कृषि कार्य करने व उपयोग उपभोग करने मे बाधा उत्पन्न करने लगे तथा प्रार्थीगण के साथ लडाई झगडा करने पर लडाई–झगड करने पर आमादा हो जाते है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वाद पत्र के पैरा नम्बर एक में वर्णित आराजियात प्रार्थीगण के कृषि कार्य करने एवं शांतिपूर्ण उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 27.04.2017 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री हुकुमचन्द पारीक एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया। दिनांक 06.10.2017 को वकील प्रतिवादी द्वारा वास्ते जवाब एक ओर अवसर देने हेतु कहा, न्यायहित में अंतिम अवसर दिया गया। दिनांक 11.10.2017 को अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया, प्रतिवादी संख्या 2 का जवाब भी प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पेश जवाब को ही माना जावे।

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर बहस वकुलाय सुनी गयी।

उप–खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

Scanned by CamScanner

दौराने बहस वकीलप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 272 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 273 रकबा 0.31 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 280 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 392 रकबा 0.26 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 393 रकबा 0.40 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 394 रकबा 0.40 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 396 रकबा 0.40 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 397 रकबा 0.25 हैक्टेयर कुल किता 8 कुल रकबा 2.35 हैक्टेयर वाके ग्राम लाखना, पटवार क्षेत्र लाखना, भू–अभिलेख निरीक्षक वाटिका तहसील सांगानेर में स्थित हैं जिसमें प्रार्थीगण का हिस्सा 5/12 हैं जिसको प्रार्थीगण अपने उपयोग उपभोग में लेते आ रहे है। ताफैसला दावा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को पाबन्द फरमाया जावे कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे।

अप्रार्थीगण के वकील ने दौराने बहस जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि खसरा नम्बर 279 राजस्व रिकार्ड जमाबन्द सम्वत् 2055 के खाता संख्या 15 में खसरा नम्बर 272, 273, 279, 280, 392, 393, 394, 396, 397 कुल किता 9 के खातेदार चंदा पुत्र मोहना के हस्सा 1/2 भौरया पुत्र छोटू हिस्सा 1/4, प्रभू पुत्र श्रीया हिस्सा 1/4 राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में चला आ रहा था। बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के खसरा नम्बर 279 रकबा 0.34 हैक्टेयर को हाल खाता संख्या 49 में अंकित कर दिया जबकि उक्त खसरा नम्बरान की भूमि 25 से 30 खेत दूरी पर स्थित है जो लाखना से पहाडिया जाने वाली रोड पर स्थित है। जिसको दुरूस्त करना आवश्यक है। खसरा नम्बर 273, 292, 293 मिन अप्रार्थी काबिज था और अप्रार्थी ने अपने कब्जे काश्त के हिसाब से सीताराम एवं श्रीरामचन्द को विक्रय कर दिया। खसरा नम्बर 272, 396, 397 की कृषि भूमि मनबट के आधार पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में रही है। अतः प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

हमने बहस वकुलाय पर मनन किया व पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया जाने पर पाया कि प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में ही प्रतित होता है। अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 272 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 273 रकबा 0.31 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 280 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 392 रकबा 0.26 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 393 रकबा 0.40 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 394 रकबा 0.40 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 396 रकबा 0.40 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 397 रकबा 0.25 हैक्टेयर कुल किता 8 कुल रकबा 2.35 हैक्टेयर वाके ग्राम लाखना, पटवार क्षेत्र लाखना, भू–अभिलेख निरीक्षक वाटिका तहसील सांगानेर में स्थित हैं जिसमें प्रार्थीगण का हिस्सा 5/12 है, अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे।

निर्णय आज दिनांक 05.09.2018 को खुले न्यायालय में सुना गया।

(जगत राजेश्वर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),
जयपुर

Scanned by CamScanner